कार्यवृत्त

गुरूवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 05 मार्च, 2020)

खण्ड–53 विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

अंक–2

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध दी गई सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। जिससे व्यवधान होने लगा। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जिला विकास प्राधिकरण समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गयी है। जिस कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा घोर आपत्ति जताते हुए कहा कि पीठ का विनिश्चय आ चुका है। जिस कारण संसदीय कार्य मंत्री का कथन पीठ का अनादर है।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:40 बजे 12:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

12 cts ek'kZy us lwfpr fd;k fd Jh v/;{k }kjk lnu dk LFkxu 12%05 cts rd ds fy;s c<+k fn;k x;k gSA

lnu dh dk;Zokgh 12%05 cts Jh v/;{k dh v/;{krk esa iqu% vkjEHk gqbZA

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नेता सदन के फूल मालायें पहन कर सदन के भीतर आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया, श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त पर अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में स्थित ग्राम पंचायत देवपुरी के पत्थरकट्टा तोक में स्थित हलणिनडिया गधेरे में बाढ़ के कारण 6 पुलिया बहने व उनके निर्माण के सम्बन्ध में" श्री महावीर सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री जय सिंह, ग्राम कण्डारीखाला पो0 बछुवावाण तहसील गैरसैंण जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में स्थित विधान भवन भराड़ीसैंण को रिंग रोड़ से जोड़ने के सम्बन्ध में" श्री राजे सिंह नेगी, पुत्र श्री कलम सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम सारकोट पो0 गैरसैंण जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में स्थित ग्राम सारकोट की पेयजल योजना निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजे सिंह नेगी, पुत्र श्री कलम सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम साराकोट पो0 गैरसैंण जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सठरेठी पोस्ट भगवानपुर में बारात घर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री रामशरण पुत्र श्री सन्तू, ग्राम सठरेठी पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल में शमशान घाट की चारदीवारी व छतरी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री विनोद पुत्र श्री रणजीत, ग्राम सिकन्दरपुर पो0 भैंसवाल खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडली में डा0 शीशपाल के मकान से डा0 अम्बेडकर पार्क तक सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अरून पुत्र श्री सुखपाल सिंह, ग्राम डाडली पो0 सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री मनोज रावत	प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनके आश्रितों हेतु संचालित यू–हेल्थ योजना को आयुष्मान योजना में समाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
2.	श्री प्रदीप बत्रा	नगर निगम क्षेत्र रूड़की में शासनादेश संख्या–838 / कर–अनु0 / न0नि0रूड़की / 2017–18, दिनांक 03 नवम्बर, 2017 को वापस लिये जाने अथवा जनहित में करों में कटौती कर इसे संशोधित करने के सम्बन्ध में। (अनुपस्थित)
3.	श्री प्रेम सिंह राणा	नानक सागर बाँध के दूसरे सिरे पर बसे दूरस्थ ग्राम के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने की स्थिति में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	बाजखेत–कुशिया, चौन–ढैया किचार तक निर्मित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य मानकानुसार न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
5.	श्री पूरन सिंह फर्त्याल	नगर पंचायत लोहाघाट की नजूल भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
6.	श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के रा0प्रा0वि0 घूरोली क्षेत्र कनालीछीना में विद्यालय के भवन में बरसात के दिनों में पानी टपकने से बच्चों की पढ़ाई न होने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
7.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम सेलाकुई में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र को 50 बेड का कर उच्चीकरण के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 02 मार्च, 2020 की बैठक में दिनांक 03 मार्च, 2020 से 05 मार्च, 2020 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की धारा 3(2)(ख)(तीन) के अन्तर्गत उपबन्धित व्यवस्थानुसार विधान सभा के 6 से अनधिक मा0 सदस्यों को यह सदन चार धाम देवस्थानम बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री हरीश सिंह, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार, श्री करन माहरा एवं श्रीमती ममता राकेश की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह, श्री करन माहरा, श्रीमती ममता राकेश की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

महान सर्वेक्षक पं0 नैन सिंह रावत के परिवार की दुर्दशा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में स्वीकृत मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश के प्रत्येक जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में हो रहे भष्ट्राचार के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य नेता प्रतिपक्ष, श्री करन माहरा ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 42 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्न प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण :–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'उत्तराखण्ड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकरण विधेयक, 2016' जो कि दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापित हुआ तथा उसी तिथि को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान के भाषण से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
2. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश,
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार
4. श्री महेन्द्र भट्ट **के भाषण के मध्य 04:00 बजकर 56 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**
5. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
6. श्री प्रीतम सिंह
7. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल
8. श्री धन सिंह नेगी

9. श्री मुकेश कोली

10. श्रीमती ममता राकेश

11. श्री देशराज कर्णवाल **के भाषण के मध्य 06:00 बजकर 03 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

12. मौ0 काजी निजामुद्दीन

13. श्री केदार सिंह रावत

14. हाजी फुरकान अहमद

15. श्री विनोद चमोली

16. श्री राजकुमार

17. श्रीमती ऋतु खण्डूडी

चर्चा जारी रहेगी।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–03 के संबंध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नन्दा गौरा योजना प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा जून, 2016 से पूर्व पैदा हुई बालिकाओं को 'हमारी कन्या हमारा अभिमान' योजना के अन्तर्गत पंजीकृत थी, तथा योजना का लाभ पाने से वंचित रह गयी विषयक सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

नन्दा गौरा योजना प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा जून, 2016 से पूर्व पैदा हुई बालिकाओं को 'हमारी कन्या हमारा अभिमान' योजना के अन्तर्गत पंजीकृत थी, तथा योजना का लाभ पाने से वंचित रह गयी विषयक दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–03 के सम्बन्ध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्री मनोज रावत के भाषण से आरम्भ हुई। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल की सूचना जो झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत कन्या महाविद्यालय झबरेड़ा में बनाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री विजय सिंह पंवार की सूचना जो विधान सभा प्रताप नगर की फिगवाल समुदाय को केन्द्रीय ओ0बी0सी0 में सम्मिलित करवाने हेतु सामान्य वर्ग के पिछड़े परिवारों को आर्थिक आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करवाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 07:06 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

आज्ञा से,

भराड़ीसैंण :
दिनांक : 04 मार्च, 2020

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।